न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री प्रकाश चन्द पवन
आर.ए.एस.

मिसल संख्याः	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
237 / अपील / 2016	07.12.2016	31.03.2017

भंवर बाई धर्म पत्नी स्व0 श्री किशोर सिंह जाति राजपूत हाल निवासी गुरूनानक कॉलोनी, बून्दी जिला बून्दी (राज0)

–अपीलांट

– बनाम –

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, जरखोदा तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
2. सचिव, ग्राम पंचायत, जरखोदा तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
3. तहसीलदार, नैनवां।

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम,
विरूद्व नामान्तकरण सं0 75 दिनांक 01.05.1977
ग्राम फतेहगंज (जरखोदा) तहसील नैनवां।

उपस्थित –

अपीलांट की ओर से – श्री राकेश ठाकोर, अभिभाषक।
रेस्पोडेन्ट की ओर से – श्री महेन्द्र कुमार जैन, अभिभाषक।

–: निर्णय :–

यह अपील ग्राम पंचायत, जरखोदा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 75 दिनांक 01.05.1977 ग्राम जरखोदा तहसील नैनवां से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन नामान्तरकरण चबूतरा बटरावलजी महाराज स्थान जरखोदा जर्ये पुजारी नन्दा आ0 रामनारायण व पिलायत बेवा हरकू बाबाजी नाथ सा0 देह खातेदार दर्ज थी जिसका रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा श्री नन्दा आ0 रामनारायण द्वारा किये जाने पर पटवारी हल्का अपीलान्ट के नाम दर्ज किया गया था। सरपंच ग्राम पंचायत जरखोदा ने दिनांक 05.01.1977 यह नोट अंकित करते हुये खारिज कर दिया गया कि यह जमीन माफी की है बटरावलजी महाराज की है, विक्रय नहीं की जा सकती।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यो पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्ट ने खसरा नम्बर 616 रकबा 23 बीघा 11 बिस्वा को दिनांक 24.04.1973 को विक्रय पत्र लिखवाकर दिनांक 19.06.1973 को विक्रय पत्र रजिस्टर्ड करवाकर 2500/— रूपये विक्रेता को देकर उक्त भूमि पर कब्जा प्राप्त किया था। अपीलान्ट ने उक्त भूमि नन्दा आ0 रामनारायण जाति नाथ से क्रय की थी तब से ही अपीलान्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। तत्कालीन पटवारी व कानूनगो की रिपोर्ट के बाद अपीलान्ट का अपीलाधीन नामान्तरकरण पर यह लिखकर ग्राम पंचायत ने खारिज कर दिया गया कि भूमि माफी की है तथा चबूतरा बटरावल जी महाराज की है। उक्त भूमि बटरावलजी महाराज की थी। जिसकी समस्त चल/अचल सम्पत्ति का स्वामी नन्दा नाथ ही था जिससे ही भूमि अपीलान्ट ने क्रय की थी। भूमि क्रय करने के पश्चात समस्त अधिकार अपीलान्ट क्रेता को प्राप्त हो गये थे। अपीलान्ट ने उक्त क्रय शुदा भूमि पर 60 फीट गहरा कुआं भी खुदवाया है, बोरवेल लगवाया है, लगभग 3—4 लाख रूपये खर्च किये गये है तथा उपजाऊ बनाया है। उक्त बटरावलजी महाराज के खाते में से अन्य भूमि भी कहीं अन्य व्यक्तियों के नाम आवंटित (हस्तान्तरित) हो चुकी है। इसलिये उक्त भूमि बटरावलजी महाराज के नाम माफी की भूमि नहीं है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में बटरावलजी महाराज बनाम कल्याण वगै0 के नाम से एक वाद अन्तर्गत धारा 188 एवं 92 क.राज.टी. एक्ट के तहत उपखण्ड अधिकारी, नैनवां के न्यायालय में पेश किया गया था जो दिनांक 04.11.2016 को खारिज हो चुका है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर ग्राम पंचायत जरखोदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.05.1977 को निरस्त कर अपीलान्ट के नाम क्रयशुदा भूमि का नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौरान अपने तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन नामान्तरकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.05.1977 को खारिज किया गया है वह विधि विधान एवं न्याय के सर्वपरी सिद्वान्तों के अनुसार सही है क्योकि उक्त विवादित भूमि चबूतरा बटरावलजी महाराज स्थान जरखोदा जर्ये पुजारी नन्दा आ0 रामनारायण के खातेदारी में दर्ज है उक्त विवादित भूमि माफी की है जिसको विक्रय करने का अधिकारी पुजारी को नहीं है यदि उक्त खातेदारी भूमि में से अन्य को खातेदार अधिकार मिल गये हो तो वह भी गलत है क्योकि भूमि माफी की है। उक्त भूमि में से अन्य व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार मिल गये हो तो तहसीलदार को वापस बटरावलजी महाराज के नाम खातेदारी दर्ज करने की कार्यवाही करनी चाहिये। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 75 दिनांक 01.5.1977 ग्राम फतेहगंज (जरखोदा) तहसील नैनवां के अवलोकन से जाहिर है कि भूमि खसरा संख्या 616 रकबा 23 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 704 रकबा 27 बीघा 08 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 50 बीघा 19 बिस्वा चबूतरा बटरावली महाराज स्थान जरखोदा पुजारी नन्दा आ0 रामनारायण व पिलायत बेवा हरक बाबाजी नाथ साकिन जरखोदा के नाम दर्ज है। उक्त खातों की भूमि में से खसरा नम्बर 616 रकबा 23 बीघा 11 बिस्वा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को अपीलान्ट को विक्रय कर दी गई। इस विक्रय पत्र के आधार पर अपीलान्ट के नाम पटवारी द्वारा नामान्तरकरण दर्ज करा दिया गया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने यह नोट अंकित करते हुये नामान्तरकरण खारिज कर दिया गया कि उक्त विवादित भूमि माफी की है जिसका विक्रय नहीं हो सकता। अपीलान्ट ने अपील में यह भी अंकित किया है कि बटरावलजी महाराज की खातेदारी खाता भूमि में से अन्य व्यक्तियों को भी हस्तान्तरित (विक्रय) की गई है जो अन्य व्यक्तियों के खातेदारी दर्ज हो चुकी है। यदि उक्त बटरावलजी महाराज के खातेदारी भूमि में से अन्य व्यक्तियों को हस्तान्तारित हुई है तो वह भी नियम विरूद्ध की गई है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार को नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार जांचकर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 31.03.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश चंद पवन)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बून्दी (राज0)